

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
राजस्थान, जयपुर
नेत्र सहायक भर्ती 2023
विस्तृत विज्ञप्ति

क्रमांक:F-109(12)/SIHFW/MH-Recruit/OA/2023/ 5611

दिनांक: 13/06/2023

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के लिये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर द्वारा नेत्र सहायक के 99 पदों (80 पदों एवं 19 बैकलॉग पदों) पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह पद स्थाई हैं, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है (विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) :-

Name of Post	No. of Post(s)	(UR)			S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.			Horizon tal Reservati on	Sahariya										
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला			विधवा	विच्छिन्न विवाह								
चौन टौरसपी	68	19	06	02	-	07	02	01	-	06	02	-	-	10	03	01	-	03	-	-	-	05	01	-	-	03	01	-	-	-	-
टौरसपी	12	05	02	-	-	-	-	-	04	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	

गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद

(UR)	S.C.	S.T.	O.B.C.	M.B.C.	E.W.S.
03	01	01	01	-	-

अनुसूचित क्षेत्र के पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद

(UR)	S.C.	S.T.
-	-	-

बैकलॉग के 19 पदों का विवरण

जातिवर्ग	गैर अनुसूचित क्षेत्र				अनुसूचित क्षेत्र			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	विच्छिन्न विवाह
अनुसूचित जाति (SC)	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूचित जनजाति (ST)	11	03	01	-	03	01	-	-
सहरिया जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :-

1. विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक को नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करने पर ही देय होगा।
2. राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र/विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें।
नोट: राज्य सरकार कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक से विवाह के माध्यम से सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का आवेदक माना जायेगा।
3. विधवा वर्ग की महिला आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थिया का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात् इस भर्ती हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं करते हुए इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
5. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला आवेदकों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
6. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि पर्याप्त विधवा आवेदक उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विच्छिन्न विवाह महिला से भरा जायेगा। इसी प्रकार विच्छिन्न विवाह महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला आवेदकों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी। आवेदन के समय विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं विच्छिन्न विवाह महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण (डिक्री) प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश (डिक्री) इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। महिला आवेदकों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर दण्डवत आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
7. विशेष योग्यजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है अर्थात् इनके लिए पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाकर आवेदक जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु पद प्रवर्गवार आरक्षित है। योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा किन्तु इसके समान संख्या में पद आगामी भर्ती वर्ष तक अग्रणीत किये जायेंगे। इसके उपरान्त भी योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ये पद समाप्त माने जायेंगे।
9. विज्ञापित पदों के लिये राजस्थान विशेष योग्यजन (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) का नियम 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत रूप से देय होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जायेगा। विशेष योग्यजन आवेदकों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7 जनवरी 2021 में वर्णित पद विशेष (Optometrists & Opticians के समरूप) के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसकी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा। पद विशेष (Optometrists & Opticians के समरूप) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर अपनी ही श्रेणी में सामान्य आवेदक की तरह पात्र माना जायेगा। पद विशेष (Optometrists & Opticians के समरूप) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की दिव्यांगता होने पर इस पद पर भर्ती हेतु किसी भी श्रेणी में आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात् पद विशेष (Optometrists & Opticians के समरूप) के कार्य के लिये

निर्धारित दिव्यांगता की श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हो सकने पर सामान्य आवेदकों की तरह अन्य श्रेणियों में आवेदन नहीं कर सकेगा।

10. विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जायेगा।
11. विशेष योग्यजन आवेदकों को इस विज्ञप्ति के संदर्भ में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत होना होगा। विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही विशेष योग्यजन आवेदकों की दिव्यांगता का निर्धारण किया जाकर आरक्षण का लाभ/पात्रता का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जायेगा।
12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत दण्डवत रूप से (Horizontal) देय होगा अर्थात् आवेदक जिस वर्ग का होगा उसके पैतृक वर्ग में ही समायोजित किया जायेगा।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उपरोक्त श्रेणियों में किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
14. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
15. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग(नॉनक्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
16. आवेदक को भारत का नागरिक होना अथवा भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारी होना आवश्यक है।

क) 1— नेत्र सहायक पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

- I. Senior Secondary (10+2) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics and Two years diploma in Ophthalmic Technology from Institute recognized by the state Government;
and
- II. Registered in Rajasthan Para Medical Council.

अधिमान्य योग्यता:— देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट:— शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है।

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) में यथा विहित समस्त अन्य योग्यतायें पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिये।

ख) वेतन, पे—मेट्रिक्स लेवल

नेत्र सहायक पद हेतु:— पे—मेट्रिक्स लेवल L-5

नोट :—

1. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer Trainee) को परिवीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई हैं।
2. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद पूर्ण करने पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे

व स्थाईकरण का पात्र होगा।

ग) आयु सीमा

आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) के नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे:-

1. आयु की गणना 01.01.2024 को आधार मानकर की जायेगी।
2. आवेदक जन्मतिथि हेतु सैकेण्डरी की अंकतालिका की प्रति एवं अंकतालिका में जन्मतिथि अंकित न होने पर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र (Certificate), जिससे जन्मतिथि प्रमाणित होती हो, अपलोड करें।
3. दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।
4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.9.2022 "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024" के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र. स.	आवेदकों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु सीमा में देय छूट
1	सामान्य वर्ग की महिला	5 वर्ष
2	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला आवेदक	10 वर्ष
3	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह	अधिकतम आयु सीमा नहीं
4	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/आवेदकों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
5	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।	
6	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) के नियम 10 के अनुसार पात्र आवेदकों को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्यानुभव अवधि की सीमा तक, अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी।	

नोट :-

1. उपर्युक्त वर्णित क्र.सं. 1-4 आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) हैं, अर्थात् आवेदकों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। बिन्दु संख्या 5 एवं 6 के तहत देय छूट उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त देय होगी।

2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार लम्बवत (Vertical) व दण्डवत

Signature

(Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी आवेदक द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

3. विगत तीन वर्षों में उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किये जाने के कारण जो आवेदक दिनांक 01.01.2024 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे।

घ) अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया

आवेदकों का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता हेतु निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तांकों के औसत का 70 प्रतिशत और अनुभव आधारित बोनस (अधिकतम 30 प्रतिशत), यदि देय हो, जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जायेगा।

नोट :-

आवेदकों द्वारा ऑनलाईन भरे गये डेटा की प्रथमतया स्क्रीनिंग की जायेगी जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण या मिथ्या पाये गये अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किये जाने योग्य आवेदनों को रद्द कर शेष आवेदनों से दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची तैयार की जायेगी। सूची में आवेदित श्रेणी अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग डेढ़ गुना (विज्ञापित पदों का) आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा जिसके दिनांक, समय व स्थान की सूचना आवेदकों को पृथक से उनके द्वारा आवेदन फार्म में दिये गये मोबाईल नं. पर एस.एम.एस. अथवा ई-मेल अथवा दोनो माध्यम से दी जायेगी। आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन में अंकित एवं अपलोड किए गए अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय व दिनांक को शीफू अथवा शीफू द्वारा तय किए गए अन्य निर्धारित स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाये गये आवेदकों के प्राप्तांकों से प्रोविजनल मेरिट तैयार की जायेगी। प्रोविजनल मेरिट पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अंतिम वरीयता सूची जारी की जायेगी।

दस्तावेजों का सत्यापन:-

1. दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को शीफू द्वारा आहूत करने पर निर्धारित तिथि व समय पर दस्तावेज सत्यापन स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत आवेदकों को निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र, शुल्क की रसीद की हार्डकॉपी मय वांछित मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाईन आवेदन के समय घोषित समस्त शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों आदि दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से मिलान नहीं कराने अथवा मिलान नहीं होने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नहीं की जायेगी। अपलोड किये गये दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर योग्यता तत्काल ही रद्द मानी जायेगी।
2. विशेष अनुमत परिस्थितियों को छोड़कर ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा जिसके सत्यापन के दौरान सही नहीं पाये जाने पर आवेदक की

	<p>पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेज के अतिरिक्त कोई नया/संशोधित दस्तावेज किसी भी माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करते समय पूर्ण सावधानी बरतें ताकि उनकी पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेज का मिलान नहीं हो सकने के कारण से निरस्त न हो। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पात्रता संबंधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। ध्यान रहे कि दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने का अभिप्राय चयन से नहीं है अपितु आवेदित आवेदकों की पात्रता की जांच मात्र है।</p> <p>4. कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने, गलत सूचना देने पर, किसी प्रकार का अनुचित कृत्य करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ दण्डिक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।</p> <p>5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।</p> <p>6. दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने पर आवेदक को किसी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता देय नहीं होगा।</p>
ऑनलाईन आवेदन अवधि	दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 4 बजे से दिनांक 12.07.2023 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
ऑनलाईन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि	<p>यद्यपि समस्त आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी/अपनी निगरानी में समस्त सूचना अंकित की जायेगी तथा विज्ञप्ति में वर्णितानुसार समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड किए जायेंगे तथापि आवेदकों के हित में उनको उक्त प्रक्रिया में सावधानी बरतने के बाद भी रह जाने वाली त्रुटियों में संशोधन का अवसर देते हुए ऑनलाईन आवेदन अवधि समाप्त होने के पश्चात पृथक विज्ञप्ति जारी करते हुए शीफू की वैबसाईट www.sihfwrajasthan.com एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर भी सूचना दी जायेगी।</p> <p>आवेदक त्रुटि संशोधन करने हेतु निर्धारित शुल्क रु. 200/- का भुगतान करने के पश्चात ही त्रुटि संशोधन कर सकेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने का अभिप्राय मूल ऑनलाईन आवेदन भरते समय हुई अंकन में त्रुटि संशोधन किए जाने एवं मूल ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज के स्थान पर त्रुटिवश किसी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अपलोड करने की स्थिति में मूल ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर दिये जाने मात्र से है। त्रुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक को नया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने अथवा मूल आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र अथवा अर्जित की गई किसी शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता का अंकन त्रुटि संशोधन के दौरान किए जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुभव प्रमाण पत्र के त्रुटि संशोधन की अवधि की स्थिति में भी मूल आवेदन पत्र भरने की तिथि प्रारम्भ होने से ठीक एक दिन पहले तक अर्जित किया गया अनुभव ही गणना हेतु मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।</p>
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व आवेदक इस हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों, संबंधित सेवा नियमों आदि का अध्ययन आवश्यक रूप से कर भर्ती में आवेदन हेतु पात्रता सुनिश्चित कर लें। ऑनलाईन आवेदन करने के लिये आवेदकों को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू) की वैबसाईट www.sihfwrajasthan.com अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर दिये गये लिंक को क्लिक करना होगा जिससे ऑनलाईन आवेदन पत्र खुल जायेगा। जिसमें दिये गये

दिशा-निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही ऑनलाइन फार्म को भरें।

- आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतया भरने के उपरान्त एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट होगा, जिसे अपने पास सुरक्षित रखें एवं किसी से साझा (शेयर) न करें।
- आवेदकों को आवेदन शुल्क सहित किसी भी प्रकार का शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान, ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि तक अनावश्यक इन्तजार नहीं करें। ऑनलाइन आवेदन पूर्णतया भरने/समस्त दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा होने के पश्चात ही स्वीकार किया जाकर आवेदन क्रमांक जनरेट होगा। उक्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका ऑनलाइन आवेदन-पत्र/आवेदन शुल्क जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit करना नहीं माना जायेगा।
- आवेदक एक मोबाईल नं. से केवल एक आवेदन फार्म ही भर सकेंगे अर्थात् एक मोबाईल नं. से एक से अधिक आवेदन फार्म नहीं भरे जा सकेंगे।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल प्रथम बार आधार क्रमांक, एक मोबाईल नम्बर तथा एक ई-मेल आई.डी. भरने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त आधार क्रमांक के आधार पर एवं मोबाईल नम्बर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु ओटीपी प्राप्त होंगे। आवेदक द्वारा उपरोक्त आधार क्रमांक एवं मोबाईल नम्बर को किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः आवेदक अपना आधार क्रमांक एवं मोबाईल नम्बर पूर्ण सावधानी के साथ भरें।
- पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा कराये जाने पर आवेदन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क रसीद की प्रति आवश्यक रूप से डाउनलोड कर इसका प्रिन्ट प्राप्त कर लें जिसे दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर तत्समय प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर इस हेतु Helpdesk Number +91 7413969555 या E-Mail support2@eshiksa.com पर राजकीय कार्य दिवसों को कार्यालय समय प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर शीफू/विभाग आवेदन निरस्त कर आवेदक पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- आवेदक को चाहिए कि आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व भलीभांति जांच कर संतुष्ट हो लें कि आवेदन पूर्ण एवं सही भरा गया है। अपूर्ण, गलत (मिथ्या), त्रुटिपूर्ण आवेदनों एवं आवेदन की दिनांक तक समस्त योग्यता नहीं रखने वाले तथा जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसकी पात्रता नहीं रखने वाले अथवा इस हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर आवेदन व पात्रता को किसी भी समय/स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन को किसी भी समय/स्तर पर निरस्त करने का शीफू/विभाग को अधिकार होगा।

- शीफू/विभाग द्वारा आवेदक से निर्धारित प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र किसी भी समय स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- समस्त आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उसके द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित समस्त शैक्षणिक/व्यावसायिक/अन्य आवश्यक योग्यताएं मय राजस्थान पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन क्रमांक ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक अर्जित कर लिया गया है। आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित किसी भी प्रकार की शैक्षणिक/व्यावसायिक/अन्य आवश्यक योग्यताएं मय रजिस्ट्रेशन तथा अनुभव प्रमाण पत्र आदि पर विचार नहीं किया जायेगा।
- दस्तावेज/फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
- दस्तावेज PDF फॉर्मेट में व फोटो एवं हस्ताक्षर JPG, PNG, JPEG फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट की फाईल 1.5 एम.बी. साईज तक एवं शेष फॉर्मेट की फाईल 200 के.बी. साईज तक अपलोड की जा सकेगी।
 - (अ) फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - (ब) आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 6 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिये। मोबाईल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - (स) फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिये।
 - (द) फोटो में आवेदक का पूर्ण चेहरा, जो सामने से स्पष्ट दिखे, कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिये।
 - (य) फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढंका हुआ नहीं होना चाहिये। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिये।
 - (र) यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - (ल) आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - (व) फोटों की साईज 3.5 cm X 4.5 cm होनी चाहिए।
 - (श) फोटो के पिक्सल न्यूनतम 240 x 320 एवं अधिकतम 480 x 640 (0.3 मेगा पिक्सल) होना चाहिए।
 - (ष) दस्तावेज सत्यापन के समय एवं चयनोपरान्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा-निर्देश :-
 - (अ) आवेदक एक सफेद कागज पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - (ब) हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 - (स) बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद अपलोड करें।
 - (द) हस्ताक्षर के पिक्सल न्यूनतम 280 x 80 एवं अधिकतम 560 x 160 होना चाहिए।
 - (य) प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - (र) अपलोड किये गये हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक द्वारा पूर्ण भरा हुआ एवं समस्त दस्तावेज अपलोड करने तथा निर्धारित शुल्क

	<p>जमा करवाते हुए ऑनलाईन आवेदन निर्धारित समय सीमा में भरा जाना सुनिश्चित किया जाये। एक आवेदक को समान पद के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऑनलाईन आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन का अवसर केवल उन्हीं आवेदकों को देय होगा जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन की अवधि में आवेदन पूर्णतया भरकर शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र कर्मांक प्राप्त किया गया है। त्रुटि संशोधन अवधि में किसी आवेदक को नया आवेदन करने की अथवा अपूर्ण आवेदन को पूर्ण कर सबमिट करने की अनुमति नहीं होगी। • त्रुटि संशोधन अवधि के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु अंकित मूल शर्तों की सीमा में त्रुटि संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। • त्रुटि संशोधन का अवसर दिए जाने के दौरान आवेदक द्वारा किए गए त्रुटि संशोधन के कारण शुल्क में परिवर्तन होने की स्थिति में पूर्व में जमा कराये गए शुल्क से अधिक राशि होने पर शुल्क की अन्तर राशि आवेदक द्वारा जमा कराई जानी अनिवार्य होगी। किन्तु त्रुटि संशोधन उपरान्त पूर्व में जमा कराए गए शुल्क से कम राशि होने पर शुल्क की अन्तर राशि लौटाई नहीं जायेगी।
आवेदन शुल्क	<p>(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु राशि रु 500.00</p> <p>(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु राशि रु 350.00</p> <p>(ग) समस्त विधवा, विच्छिन्न विवाह महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा सभी वर्ग के ऐसे आवेदक, जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु राशि रु 250.00</p> <p>(घ) राजस्थान के टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु राशि रु 250.00</p>
	<p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। 2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के आवेदकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे आवेदक, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के समान ही आवेदन शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक द्वारा उक्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के आवेदकों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। 3. आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराई गई एवं त्रुटि संशोधन हेतु दी गई राशि लौटाई नहीं जायेगी।

च) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

1. समस्त आवेदक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचनाओं/निर्देशों के लिए नियमित रूप से शीफू की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in का अवलोकन करते रहें।
2. आवेदक द्वारा **Online Application Form** में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ही आवश्यकता पड़ने पर **SMS / E-Mail** के माध्यम से भर्ती संबंधी सूचना दी जा सकेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अतः आवेदक फार्म में दिये गये मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई.डी. के पते में परिवर्तन नहीं करें।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शीफू द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
4. शीफू/विभाग आवेदकों द्वारा की गई ऑनलाईन प्रविष्टियां एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन बिना आवेदक को पूर्व सूचना दिए किसी भी समय एवं किसी भी स्तर से करवाने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. आवेदक निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए शीफू/विभाग जिम्मेदार नहीं होकर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। अतः आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के **Review Form** प्रिव्यू में अपनी समस्त प्रविष्टियों में त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् उन्हें सुधारते हुए ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो शीफू द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाते समय विज्ञप्ति में वर्णित निर्देशानुसार इस हेतु निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया अनुसार त्रुटि संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन त्रुटि संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं आवेदक का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से सम्पर्क कर स्वयं की देख-रेख में आवेदन करवाये। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। ध्यान रहे कि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को बाद में परिवर्तित नहीं किया जायेगा एवं इस कारण से यदि आवेदक अपात्र अथवा चयन से वंचित होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की ही होगी।
7. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन की निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने का अभिप्राय मूल ऑनलाईन आवेदन भरते समय अंकन में त्रुटि संशोधन किए जाने एवं मूल ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज के स्थान पर त्रुटिवश किसी अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र के अपलोड करने की स्थिति में मूल ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम दिनांक तक आवेदक के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड करने का अवसर दिये जाने मात्र से है। त्रुटि संशोधन के दौरान किसी भी आवेदक को नया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने अथवा मूल आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् जारी किए गए प्रमाण पत्र अथवा योग्यता का अंकन त्रुटि संशोधन के दौरान किए जाने की अनुमति नहीं होगी। गलत श्रेणी में

आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र शीफू/विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सहरिया/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/विच्छिन्न विवाह/विशेष योग्यजन आदि वर्ग के आवेदक Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें। Online Application Form भरने की अन्तिम दिनांक पश्चात्/त्रुटि संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदकों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं पाये जाने अथवा मूल दस्तावेज, सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

8. शीफू द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/सहरिया/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/विच्छिन्न विवाह/विशेष योग्यजन आदि अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि आवेदक की अपात्रता का पता चलता है तो इस भर्ती हेतु उसका आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
9. विधवा/विच्छिन्न विवाह वर्ग की आवेदक महिला द्वारा आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह वर्ग का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि विच्छिन्न विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो विच्छिन्न विवाह श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी एवं विधवा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक विज्ञापित पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह इस पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित न्यूनतम शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त अन्य किसी शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापित में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता एवं रजिस्ट्रेशन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
11. आवेदक को इस विज्ञापित में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
12. राज्य में कार्यरत नियमित कर्मचारी को देय लाभ यथा आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

छ) प्रमाण पत्रों का सत्यापन

दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किए जाने की स्थिति में मूल दस्तावेजों का मिलान सही पाये जाने पर ही आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/विच्छिन्न विवाह/विशेष योग्यजन आदि) की पात्रता का लाभ देय होगा। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। उक्त में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र को क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
2. आवेदक सुनिश्चित करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/ नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित/अविवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति अथवा पति एवं पिता के संयुक्त नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदकों को **Online Application Form** में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित/अविवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति अथवा पति एवं पिता के संयुक्त नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी **Income & Assets Certificate** प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को जारी किये जाने वाले **Income & Assets Certificate** की वैधता के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11()/आ.क.व./डीडीवीसी/सान्या अवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी **Income & Assets Certificate** एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त **Income & Assets Certificate** जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी **Income & Assets Certificate** को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है।
7. आवेदन की अन्तिम दिनांक तक समस्त शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता/रजिस्ट्रेशन तथा समस्त प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास दिनांक 22.5.2006 के पश्चात विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दिनांक 22.5.2006 से पूर्व विवाह होने की

स्थिति में विवाह पंजीयन पत्र अथवा इसके अभाव में इस संबंध में शपथ पत्र सहित मृतक पति के नाम से लिंक, इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, कोई एक प्रमाण पत्र (यथा—विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड जिसमें पति का नाम उल्लेखित हो) एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक होना आवश्यक है।

8. अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की प्रारम्भ तिथि से ठीक पूर्व दिनांक तक की अनुभव अवधि हेतु जारी किया हुआ होना चाहिये जो कि आवेदन की अन्तिम दिनांक के पश्चात् जारी नहीं किया गया हो।
9. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान — कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर—भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6, (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे आवेदकों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी जिन्होंने विवाह पंजीयन नहीं कराया है, उनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. ऐसा कोई भी आवेदक, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक जुड़वां सन्तानें पैदा होते हैं, वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई आवेदक जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.3.2023 के अनुसार विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी पर उक्त नियम लागू नहीं होगा।
12. आवेदक को विज्ञप्ति में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित समस्त मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र शीफू/विभाग द्वारा चाहे जाने पर यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा

का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो।

14. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। विशेष योग्यजन आवेदकों को इस बाबत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।
15. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियमित रूप से नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ज) अनुभव के आधार पर बोनस अंक

1. राज्य सरकार के आदेश आई.डी.-92/चिस्व./गुप-3/2023 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार पात्र आवेदकों को विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि आधारित बोनस अंक नियमानुसार देय होंगे।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों की पालना में उक्त पदों के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थायी आधार/यूटीबी पर एम.आर.एस./प्लेसमेंट एजेंसी/एनजीओ/108/एम.एम.यू./एम.एम.वी./पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्तानुसार अनुभव आधारित बोनस अंक देय होंगे। आउटसोर्स पर संचालित सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को अनुभव का लाभ देय नहीं है।
3. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत/सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापित जारी होने की दिनांक से आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
4. अनुभव अवधि की गणना ऑनलाईन आवेदन आरम्भ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि तक ही की जायेगी।
5. आवेदक द्वारा पृथक-पृथक अनुभव अवधि का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में पृथक-पृथक किया जाकर प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
6. उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित संस्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सा संस्थानों में, चिकित्सालयों, अन्य विभागों, अन्य राज्यों, अन्य संस्थानों एवं अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जायेंगे तथा इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।
7. ऑनलाईन आवेदन के समय पात्र आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी समय ऑफलाईन कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. अनुभव प्रमाण पत्र जो आवेदक द्वारा अपलोड किया जायेगा उसके संदर्भ में यह माना जायेगा कि आवेदक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र से पूर्णतः संतुष्ट हैं एवं इसी आधार पर सत्यापन उपरान्त अनुभव अवधि व समान कार्य के आधार पर देय बोनस का निर्धारण किया जायेगा।
9. ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के संबंध में निर्धारित सभी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां की जानी आवश्यक है। यदि ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के किसी कॉलम में आवश्यक प्रविष्टियां नहीं की गई हैं, तो ऐसे आवेदकों को अनुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा जारीकर्ता अधिकृत प्राधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही बोनस अंक का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा एवं विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11. राज्य सरकार के पत्र आई.डी.-92/चिस्व./गुप-3/2023 दिनांक 25.04.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं पत्र के साथ संलग्न निर्धारित परिशिष्ट-‘अ’ में प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी. एल., निदेशक, जनस्वा०/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFW, समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज/झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी/राजकीय डेन्टल कॉलेज/राजमेस के मेडिकल कॉलेज/आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज, परियोजना निदेशक, एन.एच.एम./एड्स, समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त उप निदेशक, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर को निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

12. अनुभव की गणना राज्य सरकार की आई.डी.-92/चिस्व./गुप-3/2023 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार की जायेगी।

झ) चयन के लिये अयोग्यता

1. आवेदक के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं होना चाहिए।
2. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक की सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात्, कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं होगी।
3. कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय सेवा में चयनित आवेदकों के चरित्र सत्यापन/आचरण/पुलिस सत्यापन के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 1(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 15.07.2016 में उल्लेखितानुसार भी अयोग्य माना जायेगा।

विशेष नोट :-

1. अभ्यर्थी के बच्चों की कुल संख्या की गिनती करते समय दिव्यांग बाल-बच्चों के संदर्भ में कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/95/पार्ट-2 दिनांक 24.02.2011 के प्रावधान लागू होंगे।
2. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

ट) सामान्य निर्देश

1. यदि आवेदक द्वारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के पूरक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर ही वरीयता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
2. विशेष योग्यजन आवेदकों को इस भर्ती हेतु विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही पात्रता का निर्धारण/आरक्षण का लाभ देय होगा। जिसके लिये आवेदक को विभाग द्वारा आमंत्रित किये जाने पर गठित किए गए मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरा जावे।
4. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को किसी प्रकार का खर्चा/भत्ता देय नहीं होगा।
5. आवेदक सैकेण्डरी की अंकतालिका अथवा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, को अपलोड करें।
6. सिंगल पैरेंटल आवेदक माता अथवा पिता के नाम के कॉलम में NA शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
7. यदि किसी आवेदक ने ऑनलाईन आवेदन में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो आवेदक का आवेदन/चयन निरस्त करते हुए आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र

होगा।

ठ) आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश

1. आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं भर्ती से संबंधित अन्य बिन्दु व भर्ती संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन हेतु अन्तिम दिनांक की प्रतीक्षा नहीं करते हुए आवेदन-पत्र भरना सुनिश्चित करे। ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित की जाने वाली सूचना एवं अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों तथा शुल्क राशि के लिए आवेदक पूर्णरूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु प्रदान की जाने वाली त्रुटि संशोधन अवधि के पश्चात इस हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. गलत सूचना/तथ्य/दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
4. त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने के पश्चात भी आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना अंकित की गई है, तो आवेदक का चयन निरस्त करने का अधिकार शीफू/विभाग को होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीफू द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आवश्यक वांछित त्रुटि संशोधन नहीं किया जाता है या आवेदक विज्ञापन के अनुसार पात्रता नहीं रखती है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के दूरभाष 0141-2975801 पर राजकीय कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान अथवा व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर